संख्या-161/2018/2193/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 23 जुलाई 2018

विषयः-समाज कल्याण विभाग के स्थापित राजकीय अनुसूचित जाति बालक/बालिका छात्रावास जनपद-बाराबंकी के मरम्मत कार्यो हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-1994-96/स0क0/विकास/छात्रावास-मरम्मत/2017-18 दिनांक-05.01.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संचालित राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण योजनान्तर्गत जनपद-बाराबंकी में 08 छात्रावासों के मरम्मत कार्यो हेतु आगणित लागत रू0-319.27 लाख (रू0 तीन करोड़ उन्नीस लाख सत्ताईस हजार मात्र) के सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार प्रति छात्रावास धनराशि रू0-5.00 लाख की दर से कुल 08 छात्रावासों हेतु धनराशि रू0-40.00 लाख (रू0 चालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृत राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

जनपद- बाराबंकी (धनराशि लाख रू0 में)

क्रसं	छात्रावास का नाम	आंकलित लागत	स्वीकृत धनराशि
1	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास ग्राम्यांचल डिग्री कालेज, हैदरगढ़, बाराबंकी	33.39	5.00
2	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास हसुवापुर बाराबंकी	40.27	5.00
3	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास दशहराबाग, बाराबंकी	35.87	5.00
4	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास सार्वजनिक विद्यालय, हैदरगढ़ बाराबंकी	32.56	5.00
5	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास सफदरगंज, बाराबंकी	42.71	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास रामनगर डिग्री कालेज, बाराबंकी	43.78	5.00
7	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास सिरौली गौसपुर, बाराबंकी	44.65	5.00
8	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास मंगलपुर, बाराबंकी	46.04	5.00
	योग	**319.27**	**40.00**

(रूपये चालीस लाख मात्र)

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(7)-उक्त प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।उक्त कार्य की मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण'' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव

संख्या-161/2018/2193(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।

3-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।

4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

5-प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको)

6-जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।

7-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।

9-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

10-गार्डफाइल

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।